गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.11.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.11.2022 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 डी.एन. सिंह	सदस्य
7.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
8.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
9.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
10.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
11.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
12.	डॉ0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 आर.के. चौबे	सदस्य
15.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
16.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

स्थायी समिति के बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय ने नव नियुक्त अधिष्ठाताओं का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय के निरंतर प्रगति हेतु सतत प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के सहभागिता एवं प्रभावशाली उपस्थिति की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की एवं विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभारने के लिए सहर्ष एवं सम्मिलित प्रयास करने हेतु सहमति दी।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.10.2022 एवं 04.11.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.10.2022 एवं 04.11.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 03 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शोध विनियम–2022 पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शोध विनियम 2022 अंगीकृत किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शोध विनियम 2022 के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के लिए शोध विनियम बनाने जाने हेतु प्रारूपण समिति का गठन किया जाय। समिति गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय/विद्यापरिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिंया कि विश्वविद्यालय के नवीन शोध विनियम प्रारूपण के दौरान निम्नलिखत विषयों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाय–

01. विश्वविद्यालय के शोध पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने संबंधी प्रावधान किये जाय एवं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों के लिए शुल्क डॉलर मुद्रा में निर्धारित कर जमा कराया जाय।

02. विश्वविद्यालय के शोध पाठ्यक्रमों में ऐसे आवेदक जो किसी संस्था या उपक्रम में कार्यरत् है, उनके प्रवेश के संबंध में प्रावधान प्रारूपित किये जाय तथा ऐसे शोधार्थियों से विशेष शुल्क भारतीय मुद्रा में जमा कराया जाय।

03. विश्वविद्यालय के शोध पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय में कार्यरत् शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को प्रवेश दिये जाने के प्रावधान भी शामिल किये जाय तथा ऐसे कर्मचारियों से सामान्य श्रेणी के आवेदकों के समान शुल्क लिये जाय।

विषय क्र. 04 अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की बैठक दिनांक 31.10.2022 द्वारा अनुशंसित प्री–पीएच.डी. कोर्सवर्क की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की बैठक दिनांक 31.10.2022 द्वारा अनुशंसित प्री–पीएच.डी. कोर्सवर्क की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन हो।

विषय क्र. 05 APSULE LABS GAPCRUD प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता और स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि APSULE LABS GAPCRUD प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता और स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 06 बस्तर से बाजार तक प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ बस्तर एवं इंडस्ट्री इंटरफेस, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि बस्तर से बाजार तक प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ बस्तर एवं इंडस्ट्री इंटरफेस, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

23/11/2022 23/11/22

विषय क्र. 07 **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं नव नालंदा महाविहार, नालंदा (बिहार) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं नव नालंदा महाविहार, नालंदा (बिहार) के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–80 के प्रावधानों के अधीन गठित प्रिपरेटरी कमेटी की बैठक दिनांक 22.11.2022 को आहूत की गई। समिति ने एलूमनी एशोसियेशन के सदस्यता के संबंध में निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा कराये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति ने यह अनुशंसा दी है कि सदस्यता शुल्क रूपये 1000/– विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही विद्यार्थियों से जमा करा लिया जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि प्रिपरेटरी कमेटी के द्वारा अनुशंसित दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.02 विश्वविद्यालय के विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 22.11.2022 को आहूत की गई। अधिष्ठातागणों ने तीन विषयों पर अपनी अनुशंसायें दी हैं।

अधिष्ठाताओं से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार करते हुए विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी विषय क्रमांक–1 एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विषय क्रमांक–2 में प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय तथा शोध उपाधि से संबंधित विषय क्रमांक–3 में प्राप्त अनुशंसाओं को स्थगित रखा जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

23/11/22	23/11/2022
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव	**कुलपति/अध्यक्ष**